तार का पता :
"इण्टरमीडिएट, रामनगर, नैनीताल"

टेलीफोन नम्बर
05947–254275

प्रेषक,

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्,
रामनगर (नैनीताल)।

सेवा में,

_____

_____

_____

पत्रांक : आई0 बी0/अभिलेख/ रामनगर, दिनांक

विषय–हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि प्राप्त करने के विषय में।

आपके पत्र/पोस्ट कार्ड दिनांक 201 के सन्दर्भ में आपको सूचित है कि परिषद् के विनियम 28, अध्याय 12 के अन्तर्गत आवश्यक प्रतिबन्धों की पूर्ति के पश्चात् निर्धारित शुल्क देने पर प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि निम्नलिखित दशाओं में दी जा सकती है :–

(1) प्रमाण–पत्र खो जाने अथवा नष्ट हो जाने की दशा में,

(2) प्रमाण–पत्र के खराब होने, विरूपित होने अथवा कट–फट जाने की दशा में जो परिषद् को अवरुद्ध किये जाने हेतु प्रस्तुत कर दिया जाता है,

(3) प्रमाण–पत्र की प्रविष्टियां धूमिल हो जाने की दशा में जो अन्य प्रकार से मजबूत है और परिषद् को निरस्त किये जाने के लिये प्रस्तुत किया जाता है।

प्रतिबन्ध यह है कि वर्ग (1) और (2) में परीक्षार्थी अपने आवेदन–पत्र के साथ उचित शपथ–पत्र प्रस्तुत करेंगे।

यह भी प्रतिबन्ध है कि वर्ग (1) के सम्बन्ध में परीक्षार्थियों को इस सत्य को इस राज्य के व्यापक रूप से प्रसारित एक दैनिक समाचार–पत्र के एक संस्करण में विज्ञापित करना होगा।

कृते सचिव।

प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि प्राप्त करने की कार्य–विधि

1–परिषद् द्वारा प्रदान किये गये प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि संलग्न प्रपत्र पर निम्नलिखित प्रतिबन्धों की पूर्ति के पश्चात् आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने पर प्रदान की जा सकेगी।

2–(क) उत्तराखण्ड में रहने वाले संस्थागत छात्र अपने आवेदन–पत्र उस विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा जहां से उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है, नीचे दिये गये अनुच्छेदों 3, 4, 5 तथा 8 में निहित निर्देशानुसार परिषद् कार्यालय को भेजें। उत्तर प्रदेश में रहने वाले व्यक्तिगत छात्र अनुच्छेदों 3, 4, 5 तथा 7 में निहित निर्देशानुसार सीधे सचिव के कार्यालय में भेजें।

(ख) उत्तराखण्ड के बाहर रहने वाले छात्र चाहे वे संस्थागत रहे हों अथवा व्यक्तिगत, अपने आवेदन–पत्र अनुच्छेदों 3, 4, 6 तथा 9 नें दिये निर्देशानुसार सीधे सचिव के कार्यालय को भेजें।

3–छात्र को अपने आवेदन–पंत्र के साथ नीचे लिखी भाषा में स्वयं शपथ–पत्र देना चाहिए। यदि छात्र की आयु 20 वर्ष से कम है, तो शपथ–पत्र उसके पिता द्वारा (भाषा में समुचित परिवर्तन करके) दिया जाना चाहिए। यदि पिता जीवित न हो तो छात्र के संरक्षक द्वारा शपथ–पत्र (भाषा में समुचित परिवर्तन करके) दिया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में संरक्षक को छात्र के पिता के नाम के पूर्व "स्वर्गीय" शब्द अवश्य लिखना चाहिए, परन्तु शपथ–पत्र पर छात्र के हस्ताक्षर अनिवार्य है।

शपथ–पत्र का प्रारूप

मैं (पूरा नाम) ———— आत्मज/आत्मजा (पूरा नाम) ———— शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरा ———— मुख्य/पूरक ———— परीक्षा सन् 201 अनुक्रमांक ———— का प्रमाण–पत्र वास्तव में* ———— गया है और मेरी यह घोषणा सत्य है। इसे मैंने किसी को दिया नहीं है और न कहीं जमा किया है।

मैंने ———— परीक्षा संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में विद्यालय/केन्द्र ———— से उत्तीर्ण की है।

मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरी आयु 20 वर्ष से अधिक है।

यदि मेरा मौलिक प्रमाण–पत्र मिल जायेगा तो द्वितीय प्रतिलिपि परिषद् को लौटा दूँगा/दूँगी।

मैं सरकारी/अर्द्ध सरकारी/प्राइवेट संस्था में सेवारत हूँ/सेवा निवृत्त हो चुका हूँ/नहीं हूँ। अपना आवेदन–पत्र समस्त वांछित संलग्नकों सहित अपने सेवायोजक से जन्म–तिथि संबंधी प्रमाण–पत्र प्राप्त करके सेवा–पुस्तिका के जन्म–तिथि अंकित पृष्ठ की प्रमाणित फ्रोटो–स्टेट कापी संलग्न करके सेवायोजक के माध्यम से उनकी आख्या व संस्तुति सहित प्रेषित कर रहा हूँ।

परीक्षार्थी/परीक्षार्थिनी का हस्ताक्षर
पद व पूरा पता ————

————

मैं प्रमाणित करता हूं कि यह वही व्यक्ति है, जिन्हें मौलिक प्रमाण–पत्र दिया गया था।

किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का हस्ताक्षर
पद व पूरा पता ————

————

विधिवत् प्रमाणित की मुहर

† प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी का हस्ताक्षर

ऑफिस सील

*यहाँ जो स्थिति हो, बताई जाय, यथा खो अथवा नष्ट हो गया है अथवा खराब अथवा विरूपित अथवा कट–फट गया है।

† जो लागू न हो, वह काट दिया जाय।

यह ज्ञातव्य है कि खराब, विरूपित, कट–फट या धूमिल पड़ गये प्रमाण–पत्र के मामले में उक्त प्रमाण–पत्र रद्द किये जाने हेतु परिषद् को भेजा जाना आवश्यक है।

4–उत्तराखण्ड के स्टाम्प विभाग के निर्देशानुसार शपथ–पत्र 10/– के नॉन–जुडिशियल (जनरल) स्टाम्प कागज पर लिखा जाना चाहिये। उत्तराखण्ड के बाहर भारत के किसी भी स्थान (जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर) से 4 रुपये 50 पैसे के नॉन–जुडिशियल (जनरल) स्टाम्प कागज पर लिखा गया शपथ–पत्र स्वीकार किया जा सकता है।

इस शुल्क के भुगतान के लिए कोर्ट फीस अथवा अन्य दूसरे प्रकार के टिकट का प्रयोग वर्जित है। किसी भी स्थिति में कोई स्टाम्प शीट सादा न छोड़ा जाय।

(क) शपथ–पत्र की भाषा वही होनी चाहिए जो उल्लिखित है। शपथ–पत्र केवल प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत् प्रमाणित होना चाहिए। कोर्ट की मुहर स्पष्ट होनी चाहिए जिससे यह ज्ञात हो सके कि प्रमाणित करने वाले अधिकारी प्रथम श्रेणी के 'मजिस्ट्रेट' अथवा 'नोटरी' हैं। मुहर में प्रथम श्रेणी/नोटरी शब्द अवश्य छपा होना चाहिए।

नोटरी द्वारा प्रमाणित किये हुए शपथ–पत्र पर 10/– का अतिरिक्त नोटिरियल स्टाम्प भी लगाना अनिवार्य है। ओथ–कमिश्नर द्वारा प्रमाणित किया हुआ शपथ–पत्र नहीं माना जायेगा।

(ख) पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को शपथ–पत्र एवं समस्त पत्रजात में केवल अपने पूरक परीक्षा का ही विवरण (अनुक्रमांक तथा वर्ष) अंकित करना चाहिए।

(ग) छात्र शपथ–पत्र भरने के पूर्व उपरोक्त नियमों का भली–भांति अध्ययन कर लें। यदि शपथ–पत्र में किसी प्रकार की कमी अथवा त्रुटि रह जायेगी, तो शपथ–पत्र को उन्हें वापस कर दिया जायेगा।

5–परिषद् की परीक्षाओं के प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि प्राप्त करने का शुल्क प्रत्येक परीक्षा के लिये 50 रुपये मात्र है। शुल्क भेजने की विधि निम्नलिखित है:–

(क) उत्तराखण्ड में निवास करने वाले छात्र राजकीय खजाने के मद 0202–शिक्षा खेल, कला एवं संस्कृति, 01–सामान्य विषय, 102–माध्यमिक शिक्षा, 02–बोर्ड की परीक्षाओं का शुल्क में निर्धारित शुल्क जमा करें। ट्रेजरी चालान के कालम ? पर्टीकुलर में ———— परीक्षा के प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि फीस लिखना चाहिए।

(ख) शुल्क वित्तीय हस्त-पुस्तिका के खण्ड 5, भाग 2 में बनाये ट्रेजरी फार्म नं0 43–ए पर ही जमा होना चाहिए। अर्जइसलि फार्म पर जमा किया गया रुपया नहीं स्वीकार किया जायेगा। ट्रेजरी चालान पर संबंधित खजाने या बैंक द्वारा ओरीजिनल अथवा डिपाजिटर्स कापी की मोहर अवश्य लगी होनी चाहिए।

6–ऐसे छात्र जो प्रदेश के बाहर निवास करते हों, उन्हें ऊपर पैरा 5 में बताये गये निर्धारित शुल्क मनीआर्डर द्वारा भेजना चाहिए। मनीआर्डर द्वारा शुल्क भेजते समय मनीआर्डर कूपन में निम्नलिखित रूप में अथवा अनुक्रमांक परीक्षा का नाम तथा वर्ष, जिस हेतु शुल्क भेजा जाय, उसका स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है अन्यथा मनीआर्डर वापस कर दिया जायेगा। शुल्क किसी भी परिस्थिति में नोट, पोस्टल आर्डर अथवा डाक टिकट के रूप में न भेजा जाय।

अनुक्रमांक————————

परीक्षा का नाम————————

परीक्षा वर्ष————————

शुल्क, किस हेतु भेजा जा रहा है ————————

हस्ताक्षर————————

7–जिन छात्रों के प्रमाण–पत्र खो गये हैं उन्हें अपने आवेदन–पत्र, शपथ–पत्र तथा शुल्क के साथ समाचार–पत्र में निम्नलिखित भाषा के अनुसार सूचना किसी व्यापक रूप से प्रसारित दैनिक समाचार–पत्र की एक तिथि में प्रकाशित कराकर उसे समाचार–पत्र की पूरी प्रति प्रेषित करना अनिवार्य है। साप्ताहिक समाचार–पत्र में छपाना अथवा समाचार–पत्र की केवल कटिंग भेजना, स्वीकार नहीं किया जायेगा। साध्य एवं क्षेत्रीय समाचार–पत्र में प्रकाशित सूचना मान्य न होगी।

समाचार–पत्रों में सूचना छापने का प्रारूप

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट मुख्य/पूरक परीक्षा सन् 201 अनुक्रमांक का प्रमाण–पत्र वास्तव में खो/नष्ट हो गया है।

परीक्षार्थी का नाम————————

पूरा पता————————

————————

8–आवेदन–पत्र, शपथ–पत्र, समाचार–पत्र की एक प्रति तथा 50 रुपये का ट्रेजरी चालान प्रधानाचार्य के पास भेजना चाहिए, जिससे वे प्रमाणित कर सकें कि आवेदक वही छात्र है, जिसे मूल प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया था। प्रधानाचार्य द्वारा दिये गये प्रमाण–पत्र के नीचे उनका हस्ताक्षर स्पष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात् प्रधानाचार्य शपथ–पत्र, समाचार–पत्र की एक प्रति ट्रेजरी चालान तथा आवेदन–पत्र को इस कार्यालय को अग्रसारित करेंगे।

9–यदि कोई छात्र प्रदेश के बाहर निवास कर रहा हो तो उसे उपरोक्त नियमानुसार अपना आवेदन–पत्र, शपथ–पत्र, समाचार–पत्र की एक प्रति तथा 50 रुपये का मनीआर्डर एक्नालेजमेंट रसीद (जो इस कार्यालय से मनीआर्डर प्राप्त करने के बाद हस्ताक्षर सहित वापस की जाती है न कि मनीआर्डर करने की पोस्टल रसीद) सचिव को सीधे रजिस्ट्री से भेज देनी चाहिए।

10–किसी भी दशा में छात्र को प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि कार्यालय में नहीं प्रदान की जाएगी।

11–छात्र को प्रमाण–पत्र की तीसरी प्रतिलिपि उन्हीं दशाओं में प्रदान की जायेगी जिन दशाओं में द्वितीय प्रतिलिपि दी जाती है। प्रमाण–पत्र की तीसरी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए शपथ–पत्र में यह अंकित करना होगा कि "प्रमाण–पत्र की मूल तथा द्वितीय प्रतिलिपि दोनों खो गयी है"। इसी प्रकार समाचार–पत्र में भी सूचना प्रकाशित कराते समय अनुच्छेद 7 में दी हुई भाषा में समुचित परिवर्तन करके सूचना प्रकाशित कराई जाये।

12–यदि हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट प्रमाण–पत्रों की द्वितीय प्रतिलिपियां एक ही साथ प्राप्त करनी हों, तो एक ही शपथ–पत्र द्वारा प्रतिलिपियां प्राप्त की जा सकती हैं। शपथ–पत्र में तद्नुसार समुचित परिवर्तन कर देना चाहिए। प्रत्येक प्रमाण–पत्र के लिये नियत 50 रुपये का शुल्क अलग–अलग जमा करना चाहिए। ध्यान रहे कि एक बार प्रमाण–पत्र की प्रति प्राप्त करने के लिये जमा किया गया धन किसी भी दशा में वापस नहीं लौटाया जा सकता।

13–प्रमाण–पत्रों की प्रतिलिपियां बनाने की प्रक्रिया लम्बी है। अतः आवेदन–पत्र प्राप्त होने के बाद दो माह की अवधि लग जाती है। इस अवधि के भीतर उक्त विषय में प्रेषित पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 71 उ0शि0प0/227–10–10–2010–2,000 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

विषय संख्या _____

प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि प्राप्त करने का आवेदन–पत्र

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्,
रामनगर (नैनीताल)।

द्वारा–प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या

_____

_____

महोदय,

निवेदन है कि मुझे मेरे हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट मुख्य परीक्षा 201 _____ के प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि प्रदान करने की कृपा करें। पूर्ण विवरण निम्नलिखित है :–

इस समय मैं _____ में निवास कर रहा हूँ :–

1. पूरा नाम (हिन्दी में) _____ (अंग्रेजी में) _____
2. पिता का नाम (हिन्दी में) _____ (अंग्रेजी में) _____
3. अनुक्रमांक _____ 4. परीक्षा का नाम _____
5. उत्तीर्ण होने का वर्ष _____ 6. जन्म–तिथि _____
7. संस्थागत/व्यक्तिगत _____ 8. पिता जीवित है अथवा नहीं _____

2. नियमानुसार वांछित निम्नलिखित कागजात संलग्न हैं :–

(1) रु0 10/– का शपथ–पत्र जो "प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट/नोटरी" जिला _____ द्वारा प्रमाणित है।

(1) दैनिक समाचार–पत्र का नाम _____

(2) समाचार–पत्र की एक प्रति

(2) सूचना प्रकाशित करने की तिथि _____

(3) जिला _____ प्रदेश _____

3. ट्रेजरी चालान सं0 _____ दिनांक _____ रु0 _____ जमा करने का स्थान _____

4. छात्र का हस्ताक्षर _____
पूरा पता _____

दिनांक _____

5. पिता अथवा पिता के जीवित न होने पर संरक्षक का हस्ताक्षर _____
पूरा पता _____

दिनांक _____

(प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के लिए)

पृष्ठांकन संख्या _____ दिनांक _____

सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल को अग्रसारित। मैं संतुष्ट हूँ तथा प्रमाणित करता हूँ कि आवेदक वही व्यक्ति है, जिसको मौलिक प्रमाण–पत्र _____ परीक्षा सन् 201 दिया गया था।

प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर _____

दिनांक _____

कालेज की मुहर _____

सेवायोजक के लिए

पृष्ठांकन संख्या ———————— दिनांक ————————

सचिव, उ0 वि0 शि0 प0, रामनगर, नैनीताल को इस आशय से अग्रसारित है कि मैं उपर्युक्त विवरण से संतुष्ट हूँ तथा प्रमाणित करता हूँ कि मेरे कार्यालय अभिलेखों एवं सेवा–पुस्तिकाओं में श्री ———————— आत्मज श्री ———————— की जन्म–तिथि (शब्दों में) ———————— (अंकों में) ———————— है। सेवा–पुस्तिका के जन्म–तिथि अंकित पृष्ठ की प्रमाणित फोटो स्टेट कापी संलग्न है। श्री ———————— हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा, वर्ष ———— अनुक्रमांक ———————— के प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि देने हेतु संस्तुति करता हूँ।

सेवायोजक के हस्ताक्षर,
(सील)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 21 उ0शि0प0/47–25–5–2011–2,000 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।